

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

पत्रांक : — 362-

/ धार (भ0 नियंत्रण) 2011

दिनांक : 11/10/11

श्री / श्रीमती / भ0 महेशचन्द्र शर्मा जी का कुटुम्ब
श्री बसन्त लाल शर्मा जी का कुटुम्ब
सं नं० 241, 57th आम्नासपुर, 30-1312

आपके पत्र दिनांक 30/8/11

मानचित्र सं० 362/2011

के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित

रिजोल्यूशन आउटलाइन मानचित्र

भवन निर्माण की मौहल्ला / कॉलोनी / ग्राम आम्नासपुर

भूखण्ड / भवन

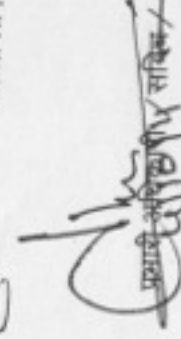
सं० पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र सलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप नियमों के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण / पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ऑक्युपेंन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओक्युपाबी) करेंगे।

11. 15 फरवरी 2012 को दत्ते लाल शर्मा जी का कुटुम्ब पर ऊं प्रस्ताव
इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अगर अभियन्ता श्री जे.पी. सिंह को प्रेषित।


प्रमुख अधिकारी, सचिव / समन्वयक

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

मुजफ्फरनगर